(4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :— संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :— 13/2022
दायर दिनांक :— 08.03.2022
निर्णय दिनांक :— 23.01.2023

उनवान

1. दिनेश कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी दौसा हाल निवासी 1537, बाबा हरीशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार, जयपुर।
2. लक्ष्मण पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी दौसा हाल निवासी वर्धमान अपार्टमेन्ट, कबीर मार्ग, देवीमार्ग, बनीपार्क, जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मीठालाल मीना पुत्र रणजीत मीना जाति मीना निवासी ग्राम छारेडा (ढाणी खारला) तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा हाल निवासी पावर हाउस रोड, डी.आर.एम. ऑफिस रूम नम्बर 319, जयपुर।
2. नवलकिशोर पुत्र रामगोपाल शर्मा (कुण्डल वाले) जाति ब्राह्मण निवासी प्रधान मैरिज गार्डन के सामने, मधुवन होटल के पास दौसा तहसील व जिला दौसा।
3. विनोद कुमार शर्मा (टापरिया) पुत्र बनवारी लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वासुदेव नगर, शिक्षक कॉलोनी दौसा तहसील व जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 13/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 2770 रकबा 0.27 है० स्थित दौसा कलां तहसील दौसा के प्रार्थीगण एवं उनके भ्राता वाद में अंकित प्रतिवादी संख्या 4 कृष्ण कुमार व बहनें वाद में अंकित प्रतिवादी संख्या 5 व 6 बहिस्सा बराबर यानि 1/5, 1/5 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे। उक्त आराजी हमें अपने बुजुर्गों से प्राप्त हुई है। जिसके फलस्वरूप उक्त आराजी हमारी पैतृक खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि है, जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2072—2075 की सत्य—प्रतिलिपि से प्रमाणित है। उक्त आराजी को आगे प्रार्थना—पत्र में वादग्रस्त आराजी संबोधित किया जावेगा। प्रार्थीगण एवं वाद में अंकित प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 अपने व्यापार एवं कार्य के संबंध में कई वर्षों से जयपुर रहते आ रहे हैं, जिसके कारण उक्त आराजी पर कोई अतिक्रमण ना कर सके, इस उद्देश्य से प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी के चारों तरफ सुरक्षार्थ पुख्ता बाउण्डरीवाल एवं उक्त आराजी में एक कमरा निर्मित करने हेतु बिल्डिंग मेटेरियल पत्थर, ईंट, बजरी, सीमेन्ट आदि डलवाकर निर्माण कार्य चालू किया गया है। उक्त आराजी से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का किसी प्रकार से कोई हक हकूक आधिपत्य अथवा

लगातार ....2....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:49:12 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

लेना देना नहीं है। इसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 दिनांक 12.02.2022 को अपने सहयोगियों के साथ प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि में बलवा करके गन्दी गालियां निकालते हुए हाथों में लाठी डण्डे लेकर आये एवं प्रार्थीगण के मजदूरों को डराकर व धमकाकर भगा दिया तथा ऐलानिया कहा कि तुम्हें उक्त आराजी में किसी प्रकार से निर्माण कार्य नहीं करने देगे। मजदूरों द्वारा प्रार्थीगण को उक्त विषयक जानकारी दिये जाने पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 विनोद टापरिया से कहा गया तो अप्रार्थी संख्या 3 जो कि प्रोपर्टी खरीद फरोख्त का व्यापार करता है, द्वारा प्रार्थीगण से कहा गया कि या तो उक्त आराजी उन्हे विक्रय कर दें अन्यथा वे मीणा जाति के लोगों से उक्त जमीन पर कब्जा कराकर उनके खिलाफ झूंठा एट्रोसिटी का मुकदमा लगाकर तुम्हें जेल भिजवा देगे तथा तुम्हें जो थोडा बहुत रूपया हम देना चाह रहे है, उससे भी तुम वंचित हो जाओगे। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 से दिनांक 13.02.2022 को दौसा आकर उनसे उक्त विषयक समझाईश की गई कि उक्त आराजी से उनका किसी भी प्रकार से कोई संबंध अथवा हक हकूक नहीं है तथा प्रार्थीगण उक्त आराजी को वर्तमान में बेचना नहीं चाहते है। ऐसी दशा में वे कैसे जबरदस्ती प्रार्थीगण से उक्त जमीन ले सकते है। इस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से धमकी दी गई कि वे उक्त आराजी में मजदूरों को किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करने देगे। यदि किया गया तो उक्त निर्माण कार्य को रात में जाकर विध्वंस कर देगे तथा उक्त जमीन पर जबरन कब्जा कर उन्हें बेदखल करके रहेगे। यदि उनके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई थाने में शिकायत की तो उनकी काफी पहुंच है। वे धनबल के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होने देगे। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 जबरन ताकत एवं धन के बल पर प्रार्थीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने पर आमादा है, जिसका उन्हें कानूनन अधिकार नहीं है। ऐसी दशा में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित कराने के कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस स्पष्ट प्रमाणित है। सुविधा संतुलन की तुला व अपूर्णीय क्षति भी मिन प्रार्थीगण के ही पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2770 रकबा 0.27 है0 स्थित दौसा कलां तहसील दौसा में प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी की सुरक्षार्थ कराये जा रहे निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार का दखल देने, उक्त निर्माण कार्य को किसी भी प्रकार से विध्वंस कर नुकसान पहुंचाने, उक्त आराजी में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने, दखल देने अथवा उक्त आराजी के किसी भी भू–भाग से प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से बेदखल करने अथवा उस पर किसी भी प्रकार से अनाधिकृत रूप से कब्जा करने आदि सहित … परिवारजन, रिश्तेदार, एजेन्ट, नौकर, ठेकेदार, मजदूर आदि सहित वाद के अन्तिम निस्तारण तक स्थाई रूप से प्रतिबन्धित रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 3 की ओर से बावजूद तामील अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

लगातार ....3....

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:49:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में बहस एकपक्षीय सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में उल्लेखित बातों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैः–

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :– पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2770 रकबा 0.2700 है0 कृष्ण कुमार पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/5, दिनेश पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/5, नलिनी पुत्री जगन्नाथ हिस्सा 1/5, लक्ष्मण पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/5, शालिनी पुत्री जगन्नाथ हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड है। चूँकि प्रश्नगत भूमि में प्रार्थीगण हिस्सा 1/5–1/5 के खातेदार है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
2. सुविधा का संतुलन :– प्रश्नगत भूमि में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। यदि अप्रार्थीगणों की ओर से उक्त आराजी में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी की जाती है, तो प्रार्थीगण को असुविधा होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
3. अपूर्णीय क्षतिः– प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रतीत होती है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। पूर्व से ही इस संबंध में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की हुई है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2770 रकबा 0.27 है0 स्थित दौसा कलां तहसील दौसा में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने, दखल देने अथवा उक्त आराजी के किसी भी भू–भाग से प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से बेदखल करने अथवा उस पर किसी भी प्रकार से अनाधिकृत रूप से कब्जा करने परिवारजन, रिश्तेदार, एजेन्ट, नौकर, ठेकेदार, मजदूर आदि सहित अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को वाद के अन्तिम निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:49:12 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उप खण्ड अधिकारी